

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मदनसिंह बनाम सत्यनारायण (कौश)

किरण मुकदमा

श्री-पत्र 111-128

नं०

70

दिनांक

2021

नं०

हुकम या कारावाही नया इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की कारावाही में जारी हुए

9-21

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिप्लोमा को आम्सन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 12-10-21 को पराप्त ।

7

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल

29-11-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के सेग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत बावलास में वैश डूरे, अप्राथीगठ के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए एंवगहसीलकर माण्डल से माँका विपटि प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्राथी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फँसल शुभप होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

प्रशासन गाँवों के सेग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 70/21 प्र/पग

1- श्री भद्रसिंह जो राधाजी सिंह पंवार निवासी- कांचा कास्पेरा तहसील मांडल

बनाम

1- श्री राधाशरण जो राधाजी सिंह पंवार निवासी- कांचा कास्पेरा तहसील मांडल (विपक्षीय) (हिस्सा नं. 1 प्र/पग सत्कन)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया कि ग्राम कांचा कास्पेरा पटवार हल्का कांचा कास्पेरा तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 3038/1054 कुल किता 01 रकबा 2.5293 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान करायें जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.9.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कांचा कास्पेरा पटवार हल्का कांचा कास्पेरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 3038/1054 कुल किता 01 रकबा 2.5293 हेक्टेयर

भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक राधाशरण को 900/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कसबे पर निर्धारित नुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी, मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021